

“बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी.2-22-छत्तीसगढ़ गजट / 38 सि. से. भिलाई, दिनांक 30-05-2001.”



पंजीयन क्रमांक
“छत्तीसगढ़/दुर्ग/09/2013-2015.”

छत्तीसगढ़ राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 278]

रायपुर, गुरुवार, दिनांक 11 जून 2020 — ज्येष्ठ 21, शक 1942

खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग
मंत्रालय, महानदी भवन, नवा रायपुर अटल नगर

अटल नगर, दिनांक 28 मई 2020

अधिसूचना

क्रमांक एफ 10-122/2010/29-1. — छत्तीसगढ़ विधिक मापविज्ञान (प्रवर्तन) नियम, 2011 में संशोधन का निम्नलिखित प्रारूप, जिसे राज्य सरकार, केन्द्र सरकार से परामर्श के पश्चात्, विधिक मापविज्ञान अधिनियम, 2009 (2010 का सं. 1) की धारा 53 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए बनाना प्रस्तावित करती है, उक्त अधिनियम की धारा 53 की उप-धारा (4) द्वारा अपेक्षित किये गये अनुसार, उन समस्त व्यक्तियों, जिनके कि इससे प्रभावित होने की संभावना है, की जानकारी के लिए एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है तथा एतद्द्वारा सूचित किया जाता है कि उक्त प्रारूप पर इस अधिसूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से तीस दिवस के अवसान के पश्चात् विचार किया जायेगा.

कोई आपत्ति या सुझाव, जो उक्त प्रारूप के संबंध में किसी व्यक्ति से, विनिर्दिष्ट कालावधि के दौरान सचिव, खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग, छत्तीसगढ़ शासन, कक्ष क्रमांक एस-1/19, महानदी भवन, मंत्रालय, नवा रायपुर अटल नगर, जिला रायपुर के कार्यालय में कार्यालयीन समय में प्राप्त हो, पर छत्तीसगढ़ शासन द्वारा विचार किया जावेगा.

प्रारूप संशोधन

उक्त नियमों में,-

- (1) नियम 11 में, उप-नियम 4 में, शब्द “दो वर्षों” के स्थान पर, शब्द “पांच वर्षों” प्रतिस्थापित किया जाये.
- (2) अनुसूची 4 में, सरल क्रमांक 1 में, प्रविष्टि (एक), (दो) एवं (तीन) के स्थान पर, निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जाये, अर्थात् :-

“(एक) विनिर्माता	रुपये 5000
(दो) सुधारक	रुपये 2000
(तीन) विक्रेता	रुपये 1000”

(3) अनुसूची-छ: के स्थान पर, निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जाये, अर्थात् :-

“अनुसूची-छ:”

[नियम 11(8) देखिये]

छत्तीसगढ़ शासन

कार्यालय नियंत्रक, विधिक मापविज्ञान

अनुज्ञप्ति प्राप्त सुधारक द्वारा जमा की जाने वाली सुरक्षा निधि

बाट तथा माप जिसमें तौल तथा माप उपकरण शामिल है, के सुधारक रु. 5000”

No. F 10-122/Food/2010/29-1. — The following draft amendment in the Chhattisgarh Legal Metrology (Enforcement) Rules 2011, which the State Government proposes to make, after consultation with the central Government in exercise of the powers conferred by Section 53 of the Legal Metrology Act, 2009 (No. 1 of 2010), is hereby published as required under sub-section (4) of Section 53 of the said Act for the information of all persons likely to be affected thereby notice is hereby given that the said draft shall be taken into consideration after the expiry of thirty days from the date of its publication of this notification in the Official Gazette.

Any objection or suggestion regarding the said draft received from any person before the specified period during office hours by the office of the Secretary, Department of Food, Civil Supplies and Consumer Protection, Government of Chhattisgarh, Room Number S-1/19, Mahanadi Bhawan, Mantralaya, Nava Raipur Atal Nagar, District-Raipur shall be considered by the Government of Chhattisgarh.

DRAFT AMENDMENT

In the said rules,-

1. In rule 11, in sub-rule (4), for the words “two years”, the words “five years” shall be substituted.
2. In Schedule-IV, for serial number (i), (ii) and (iii), the following shall be substituted, namely :-

“(i)	Manufacturer	Rs 5000
“(ii)	Repairers	Rs 2000
“(iii)	Dealers	Rs 1000”
3. For Schedule-VI, the following shall be substituted, namely :-

“SCHEDULE-VI

[See rule 11 (8)]

Government of

Office of Controller of Legal Metrology

Security deposit to be made by Licensee repairer

Repairer of weights and measures including weighing and measuring instruments. Rs. 5000.00”

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
मनोज कुमार सोनी, विशेष सचिव.